

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला
भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 9/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रणु पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवलाल पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जोधा पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मु० अण्छी बेवा जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. आसु पिता पेमा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोतीलाल पिता हीरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता रायमल बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरूसिंह पिता धनसिंह राजपुत निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रूपा पिता प्रताप बलाई निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. परथु पिता डालु ब्राह्मण निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहन पिता गुलाब बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1-महेश दाधीच

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.05.2018


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागड़ मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 120 रकबा 0.09 है०, 146 रकबा 0.02 है०, 147 रकबा 0.10 है०, 149 रकबा 0.09 है०, 198 रकबा 0.62 है०, 199 रकबा 0.18 है०, 200 रकबा 0.23 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.33 है० भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजियात की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता है तथा अन्य चारों दिशाओं में विपक्षीगण संख्या एक लगायत छः के आधिपत्य की आराजियात स्थित है, प्रार्थीगण विपक्षीगण से विवाद नहीं चाहते है जिससे प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक लगायत छः प्रार्थीगण की आराजियात के पडौसी से विवाद हो रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपनी सीमा की जानकारी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक लगायत छः प्रार्थीगण की

उक्त आराजियात के पडौसी होने से पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या एक लगायत छः को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी संख्या एक लगायत छः हर बार टालम टोल करते रहें हैं, प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या एक लगायत छः को अन्तिम बार पत्थरगढी कराने बाबत् दिनांक 03.01.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ रहा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 21.02.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 120 रकबा 0.09 है0, 146 रकबा 0.02 है0, 147 रकबा 0.10 है0, 149 रकबा 0.09 है0, 198 रकबा 0.62 है0, 199 रकबा 0.18 है0, 200 रकबा 0.23 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 700/- अक्षरे सात सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


राजलक्ष्मी महलोट

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजलक्ष्मी महलोट

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा